खंड–।।

निविदाकारों के लिए निर्देश (आईटीबी)

अ. महत्वपूर्ण तिथियां/सामान्य जानकारी

कमांक	जानकारी	विवरण
1.	संक्षिप्त विवरण	सामाजिक वानिकी वृत्त ग्वालियर में पौधा तैयारी हेतु पॉलीथीन एवं **LDPE Black Sheet** हेतु दरों की निविदा
2.	ई–निविदा आमंत्रण सूचना संख्या	MPFDO_CFSFG_2025_004/ई–टेंडरिग/2025–26 दिनांक 30.5.25
3.	निविदा शुल्क/निविदा दस्तावेज की लागत	1000/– प्रोसेसिंग शुल्क (पोर्टल द्वारा स्वचालित रूप से निर्धारित)
4.	सत्यांकार निधि	50000/–
5.	निविदा प्रस्ताव की वैधता	वित्तीय वर्ष 2025–26 में निविदा आमंत्रित दिनांक से 31 मार्च 2026 तक
6.	निष्पादन सुरक्षा	150000/–
7.	अनुमानित निविदा मूल्य	5000000/–
8.	निविदा पूर्व बैठक की तिथि एवं समय	दिनांक **13.06.2025 Time-03:00 PM**
9.	निविदा जमा करने की प्रारम्भ तिथि	दिनांक **04.06.2025 Time-10:30 AM**
10.	निविदा जमा करने की अंतिम तिथि (अंतिम तिथि)	दिनांक **21.06.2025 Time-05:30 PM**
11.	प्राप्त तकनीकी प्रस्तावों को खोलने का समय और तिथि	दिनांक **23.06.2025 Time-11:30 AM**
12.	जमा करने का प्रकार	ऑनलाईन जमा **https://www.mptenders.gov.in/** पर करें

1. निविदा की स्वीकृत दरों की बैधता सफल निविदाकार और सामाजिक वानिकी वृत्त ग्वालियर के बीच आपसी सहमति के अधीन 90 दिनों तक बढ़ाई जा सकती है।
2. निविदा में उल्लेखित की गई वस्तुओं की संभावित मात्रा सफल निविदाकार और सामाजिक वानिकी वृत्त ग्वालियर के बीच आपसी सहमति के अधीन बढ़ाई जा सकती है।
3. वनमण्डलाधिकारी सामाजिक वानिकी वृत्त ग्वालियर (निविदाकर्ता) किसी भी समय और बिना कोई कारण बताए प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) प्रकिया को समाप्त कर सकता है। निविदाकर्ता कोई भी स्पष्ट या निहित प्रतिबद्धता नहीं करता है कि इस प्रकिया के परिणामस्वरूप किसी के साथ कोई व्यापारिक लेनदेन होगा। यह प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आर0एफ0पी0) निविदाकर्ता द्वारा कोई प्रस्ताव नहीं है। इस प्रकिया में निविदाकर्ता, निविदाकार की भागीदारी के परिणामस्वरूप, निविदाकार से और जानकारी या स्पष्टीकरण मांग सकता है। हालॉकि, निविदाकर्ता किसी भी समय बिना कोई कारण बताए इस प्रकिया को समाप्त कर सकता है।
4. प्रति निविदाकार एक निविदाः

4.1 निविदाकार एक व्यक्तिगत इकाई या संयुक्त उद्यम हो सकता है। संयुक्त उद्यम की आवश्यकता अनुलग्रक 6 में दी गई है।

4.2 कोई भी निविदाकार संयुक्त रूप से या अलग–अलग एक से अधिक निविदायें प्रस्तुत करने का हकदार नहीं होगा। यदि वह ऐसा करता है, तो निविदाकार द्वारा भाग ली गई सभी निविदायें अयोग्य मानी जाएँगी।

5. निविदाकार को अपनी निविदा तैयार करने और प्रस्तुत करने से जुड़े सभी खर्चे वहन करना होगा,और इसके लिए सरकार पर कोई भी दावा नहीं किया जाएगा।
6. निविदाकार को सलाह दी जाती है कि वह कार्य/आपूर्ति स्थल और उसके आस–पास का दौरा करें और निरीक्षण करें तथा निविदा तैयार करने और अनुबंध में प्रवेश करने के लिए आवश्यक सभी जानकारी अपनी जिम्मेदारी पर प्राप्त करें। इस संबंध में सभी खर्चे निविदाकार को वहनकरना होगा।

वनमण्डलाधिकारी
सामाजिक वानिकी वृत्त ग्वालियर